

9/1/19

अधिवक्ता प्राचीन एवं प्राचीन स्वयं अनुमोदित। अर्थात्  
संख्या 6,7,10 के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अर्थात् संख्या  
6,7,10 ने निवेदन किया कि प्राचीन एवं उनके अधिवक्ता  
अनुपस्थित हैं। उक्त शर्तों के अभाव में प्राचीन एवं  
उनके अधिवक्ता को अदालत उठने तक तीन बार अर्थात्  
लॉन्गवॉर्ड नहीं परन्तु प्राचीन को अदालत से कोर्ट अदालत  
उपस्थित नहीं आया। अतः उक्त अदम एजिडी  
अदम एजिडी के खारिज किया जाता है।  
आदेश आज बकुल न्यायालय में सुनाया गया। 6

पुण्य 19  
9/1/19

(पर्वतसिंह घुण्डावत)  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक क्लर्क  
मसूदा (अजमेर) राज.

